



पत्रांक
सेवा में,

कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

546 /

12-1 (1)

दिनांक, देहरादून, 27 अगस्त, 2016

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

विषय: जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री अन्तर्गत रा0रा0मा0 संख्या-123 से पौलगांव तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.28 है0 वन भूमि का वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन स्वीकृति का प्रस्ताव ।

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट ने अपने पत्रांक 232/ 12-1 दिनांक 28 जुलाई 2016 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री अन्तर्गत रा0रा0मा0 संख्या-123 से पौलगांव तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.28 है0 वन भूमि का वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य प्रस्ताव भेजा है। विषयांकित प्रस्ताव में वांछित वन भूमि की विधिक स्थिति निम्न प्रकार है ।

प्रभाग / रेंज का नाम	वांछित भूमि की विधिक स्थिति	लम्बाई X चौड़ाई मीटर	क्षेत्रफल हेक्टर	कुल बाधित वृक्षों की संख्या	बाधित बांज के वृक्ष जो कालम 5 में सम्मिलित हैं, की संख्या
1	2	3	4	5	6
अपर यमुना वन प्रभाग। रंवाई रेंज	आरक्षित वन भूमि बड़कोट कं0नं0-8	350X 7	0.245	19	बांज वृक्ष बाधित नहीं हैं।
अपर यमुना वन प्रभाग। रंवाई रेंज	सिविल वन भूमि बड़कोट सोयम	50 X 7	0.035	0	बांज वृक्ष बाधित नहीं हैं।
	योग वन भूमि	400	0.28	19	—
नाप भूमि रंवाई रेंज	नाप भूमि ग्राम बड़कोट नाप भूमि मक डिस्पोजल	2100X 7 —	1.470 0.275	0	बांज वृक्ष बाधित नहीं हैं।
	मार्ग की कुल ल0	2500	—	19	

प्रस्तावित मार्ग के समरेखण में वन भूमि में कुल 19 वृक्ष बाधित हैं। मार्ग के समरेखण में बांज के वृक्ष बाधित सूचित नहीं हैं। प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट की संस्तुति के पश्चात इस स्तर से निर्धारित संलग्न प्रपत्र- III में संस्तुति सहित प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया जा रहा है। हार्ड प्रति भी साथ-साथ प्रेषित की जा रही हैं।

भवदीय,

संलग्नक-यथोपरि ।

(जन्मेजय सिंह)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

संख्या 546 (1) /

उक्त दिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट को उनके पत्रांक 356/12-1 दिनांक 8-8-016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(जन्मेजय सिंह)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

भाग-III

(संबंधी वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।)

कार्य का नाम-जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री अन्तर्गत रा0रा0मा0 संख्या-123 से पौलगांव तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.28 है0 वन भूमि का वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन स्वीकृति का प्रस्ताव।

क्रमांक 14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
क्रमांक 15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं ।	सहमत हैं ।
क्रमांक 16	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	संस्तुति की जाती है। मार्ग के समरेखण में बांज के वृक्ष बाधित सूचित नहीं हैं।

दिनांक - अगस्त, 2016
स्थान - देहरादून ।

हस्ताक्षर

27/8
नाम - (जन्मेजय सिंह)
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।



कार्यालय

फोन/फैक्स नं०- 01375-224233
E-Mail dfobarkot@gmail.com
वन मित्र कॉल सेंटर- 9208008000

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,
पत्राक- 356 / 12-1 दिनांक, बड़कोट, अगस्त, ८४ 2016।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-123 से पौलगांव तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु (लम्बाई 2.50 कि०मी०) 0.280 है० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि०, बड़कोट को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सम्पर्क मार्ग निर्माण प्रस्ताव ऑनलाईन से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। विषयगत सम्पर्क मार्ग प्रस्ताव पर प्रभाग स्तर से आवश्यक सूचना ऑनलाईन अपलोड कर दी गई है। अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्ताव ऑनलाईन से आपको प्रेषित किया जा रहा है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक ४.४.१६ को इस सम्पर्क मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया। प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग स्थल पर अन्य कोई और विकल्प न होने के कारण इस स्थल पर सम्पर्क मार्ग निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। जनहित में प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना आवश्यक है, जिसकी संस्तुति की जाती है।

भवदीय

(डी०के० सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री में रा0रा0मा0 123 से पौलगांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण हेतु (लम्बाई 2.50 कि0मी0) 0.280 है0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत गैर वानकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 बडकोट को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।
(i)	राज्य/सघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	उत्तरकाशी
(iii)	वन प्रभाग	अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है0 में	0.280 है0
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.245 है0 आरक्षित वन बडकोट कक्ष-8 0.035 है0 सिविल सोयम भूमि बडकोट 0.280 है0
(vi)	हरियाली का घनत्वा	0.5
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ0आर0एल0-2मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल 19 वृक्ष वाधित है। वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	इस बावत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिया गया प्रमाण के अनुसार प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित स्थल से वन सीमा की दूरी 0.25 कि0मी0 के अन्तर्गत है।
(x)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	नहीं। इस बावत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण	नहीं। इस बावत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालन-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे है।	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	1 है0 से कम वन भूमि होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण नहीं किया जाना है। इस हेतु रिक्त पडे स्थानों पर उचित प्रजातियों का वृक्षारोपण एवं 100 वृक्षों का वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	1 है0 से कम वन भूमि होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण नहीं किया जाना है। इस हेतु रिक्त पडे स्थानों पर उचित प्रजातियों का वृक्षारोपण एवं 100 वृक्षों का वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उपरोक्तानुसार।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	प्रजातिया-जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां कार्यान्वयन एजेंसी स्वयं वन विभाग समय-उच्चस्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लागत- रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण हेतु 863280.00 एवं काटे जाने वाले वृक्षों के ऐवज में 10 गुना वृक्षारोपण हेतु 190000.00 रु० का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण हेतु 863280.00 एवं काटे जाने वाले वृक्षों के ऐवज में 10 वृक्षों का वृक्षारोपण हेतु 190000.00 रु० का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राक्कलन प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण निपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (Xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी फील्ड स्टाफ राजस्व विभाग, एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षर करके प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया जो प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट जिला उत्तरकाशी
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	801600.00 है०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	695783.35 है०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 91 है। वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र 135.1275 है०
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि- (ख) वनेतर भूमि पर-	क- 270.255 है० ख- -
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेत्तर भूमि पर	क- 34.27 है० ख - 190.35 है०
13-	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिपेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 18-5-2016 को प्रश्नगत भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त जनहित में इस पेयजल परियोजना हेतु प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक 23-5-2016

स्थान बडकोट

(डी०के० सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग बडकोट।